

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी जिला नागौर --राज0

पीठासीन अधिकारी : महावीर प्रसाद शर्मा, तहसीलदार

मिसल संख्या : 40/2018

किस्म मुकदमा :

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

1956 की धारा 91

तारीख दर्ज : 09.08.2018

निर्णय दिनांक : 31/08/2018

सरकार जरिये पटवारी हल्का

बनाम

श्री जगदीश पुत्र बालूराम

अड़कसर

जाति बनबागरिया नि. दौलतपुरा

—: उनवान :-

पत्रावली आज पेश हुई अप्रार्थी अनुपरिथत प्रकरण संक्षेप इस प्रकार है कि पटवारी हल्का अड़कसर द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्री श्री जगदीश पुत्र बालूराम जाति बनबागरिया नि. दौलतपुरा ने ग्राम दौलतपुरा के खसरा नम्बर 15 कुल रकबा 9.32 हैक्टेयर किस्म गै.मु. चारागाह में से रकबा 0.10 हैक्टर भूमि पर सम्वत 2075 में बाड़ा बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 तहत सुनवाई हेतु नोटीस जारी किये किया गया। नोटिस की प्रति प्रभूराम ने प्राप्त की।

अप्रार्थी द्वारा जवाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि जिससे प्रार्थना -- पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि हो सके एवं न ही विधिक साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किया है। पत्रावली



